<u>महालेखाकार (लेखापरीक्षा I) का कार्यालय, केरल, तिरुवनंतपुरम (प्रशिक्षण केन्द्र)</u> OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT I) <u>KERALA, THIRUVANANTHAPURAM</u> (TRAINING CENTRE)

सं.ले.प/प्रशिक्षण/11-221/2025-26/ No.Au/Trg/11-221/2025-26/ दिनांक: 15 मई 2025 Date: 15 May 2025

अनुभागीय आदेश सं./ SECTIONAL ORDER NO.69

इस कार्यालय के श्री. जीतू. पी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (व्यावसायिक) /एएमजी III को 19.05.2025 से 22.05.2025 तक आरसीबीकेआई, मुंबई में आयोजित होने वाले 'अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट' पर अखिल भारतीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए नामांकित किया गया है।

Shri. Jithu. P, Sr.AO (C)/AMG III of this office is nominated for training program on All India Training Programme on 'Accounting Standards, Auditing Standards & Analysis of Financial Statement' scheduled to be held at RCBKI, Mumbai from 19.05.2025 to 22.05.2025.

प्रतिभागी अपनी आधिकारिक ईमेल आईडी का उपयोग करके साई प्रशिक्षण पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण और प्रतिक्रिया प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। अधिकारी को साई प्रशिक्षण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रभाव मूल्यांकन को पूरा करने के लिए भी सूचित किया जाता है जिसे प्रशिक्षण के अंतिम दिन से 3 महीने पूरा होने की तिथि पर 20 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना है।

The participant may complete the registration and feedback process through SAI Training Portal using his Official email ID. The official is also informed to complete the online impact assessment through SAI Training Portal which is to be submitted within 20 days on date of completion of 3 months from the last day of Training.

संबंधित अनुभाग यह सुनिश्चित करें कि नामित अधिकारी को प्रशिक्षण के संबंध में पहले ही सूचित कर दिया जाए।

Section concerned may ensure that the nominated official is informed regarding the training in advance.

(महालेखाकार के दिनांक 01 मई 2025 के आदेशानुसार)

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी / प्रशिक्षण Senior Audit Officer/Training

प्रतिलिपि:-

1.	अनुभागीय आदेश बुक/सूचना पट्ट	4.	व.अ.प.ले./प्रशा., रोकड, हक़ .प.ले)-I)/(ले.पII)
2.	संबंधित अधिकारी	5.	प्र.म.ले. (ले.पI)/(ले.पII) के सचिव/निजी सचिव
3.	संबंधित समूह अधिकारी	6.	सी सेल/आईटी समर्थन कक्ष/हिन्दी कक्ष/सामान्य कक्ष/पी ए ओ/ आई ए